राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS/Paymanager/1406-1845 दिनांक 28/7/2021

परिपत्र

एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत वर्तमान में कार्मिक के बैंक खाता विवरण में परिवर्तन हेतु कार्मिक को अपने लॉगिन से Request संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को की जानी होती है। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त Request को कोषाधिकारी को फॉरवर्ड कर कोषाधिकारी स्तर से बैंक खाता विवरण में संशोधन सिस्टम पर करवाया जाता है जिससे अनावश्यक विलम्ब होता है। कार्मिक के एम्पलॉई लॉगिन को अब OTP आधारित किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत कार्मिक द्वारा लॉगिन किए जाने पर OTP द्वारा पुष्टि करवाई जाती है।

अतः उक्त प्रक्रिया को सुगम व सरल बनाने के उद्देश्य से कार्मिक के बैंक विवरण में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन यथा बैंक, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा आदि कार्मिक द्वारा स्वंय के OTP आधारित लॉगिन से ही किया जा सकेगा। कार्मिक द्वारा स्वंय के स्तर से बैंक विवरण में परिवर्तन किये जाने के पश्चात Submit करने पर सिस्टम द्वारा एक बार पुनः OTP से पुष्टि करवाई जायेगी तथा बैंक विवरण में संशोधन होने पर कार्मिक के रजिस्टर्ड मोबाईल पर सिस्टम से SMS भी प्राप्त होगा। बैंक खाता विवरण परिवर्तन करने पर स्वंय के स्तर से बैंक से लिए गये भवन / वाहन ऋण या अन्य ऋणों की किश्तों के भुगतान का दायित्व स्वंय कार्मिक का ही होगा।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

1406-1845
28/7/2021

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव।
3. प्रधान महालेखाकार,लेखा एवं हक/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/ आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
9. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु।
14. श्री आई.डी. वरियानी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
15. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
16. कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, समस्त।

संयुक्त शासन सचिव